"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 265] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 जुलाई 2018 — आषाढ़ 29, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2018

संशोधन आदेश

क्रमांक 3845/1248/21-ब (एक)/छ. ग./2018 . — श्री सतीश कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दुर्ग के सेवानिवृत्ति संबंधी इस विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1396/3975/21-ब (एक)/छ. ग./2017 दिनांक 08-02-2018 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

उक्त आदेश के सरल क्रमांक 01 के कॉलम तीन में अंकित "15-07-1958" के स्थान पर "25-07-1958" पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.